तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-12-20	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक ~~उभय पक्ष उपस्थित हैं~~। [illegible] उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्य [illegible] तशरीफ रखते है। अन्य कार्य [illegible] अभिभाषणगण कन्डोलेन्स [illegible] अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 17-3-2021 को पेश हों। (initials)	
7-3-21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अवकाशवश ~~सम्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त~~ है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 8-4-21 को पेश हों। (initials)	
8-4-21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण का वाद-पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (signature) उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी
श्री प्रमोद कुमार(R.A.S.)

47 / दावा / 2019

दायरा दिनाकं 18.07.2019

1 नाथू सिंह उर्फ नाथूलाल आ0 शिवसिंह उर्फ श्योजी जाति दरोगा निवासी कांकरामेज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

2 कर्ण सिंह उर्फ रामकरण आ0 शिवसिंह उर्फ श्योजी जाति दरोगा निवासी कांकरामेज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

3 लाडकंवर उर्फ धापू पुत्री शिवसिंह उर्फ श्योजी जाति दरोगा निवासी कांकरामेज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

4 रसाल बाई उर्फ मोडी पुत्री शिवसिंह उर्फ श्योजी जाति दरोगा निवासी कांकरामेज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

5 गुलाब बेवा शिवसिंह उर्फ श्योजी जाति दरोगा निवासी कांकरामेज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 ....वादीगण

<u>बनाम</u>

स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 ....प्रतिवादी

<u>वाद–घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट</u>

वादीगण ने अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 499 रकबा 3.07 हैक्टेयर वाके ग्राम कांकरामेज तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है। जिसकार खातेदार टीनेन्ट वादीगण है और काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। तथा राज्य सरकार को समय समय पर लगान पिलाई अदा करते आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादीगणों का नाम नाथूलाल पुत्र श्योजी, रामकरण पुत्र श्योजी, धापू पुत्री श्योजी, मोडी पुत्री श्योजी, गुलाब बेवा श्योजी, तथा पिता का नाम भी श्योजी दर्ज [illegible] जबकि वास्तविक नाम सरकारी रिकार्ड के अनुसार नाथूसिंह कर्ण सिंह, [illegible] रसाल बाई पिसरान शिव सिंह दर्ज हो रहा है। लेकिन राजस्व [illegible] राजस्व रिकार्ड में सभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:36:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

वादीगणों का नाम गलत दर्ज कर रखा है एवं पिता का नाम भी गलत दर्ज हो रहा है जबकि सरकारी रिकार्ड में शिव सिंह दर्ज हो रहा है इसलिए वादीगणों को सरकारी योजनाओं मे फायदा लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादीगणों को अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय में विधिवत रूप से अपने नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वादीगण का संबंध राजपूत जाति से है जिसमें सिंह लगाया जाता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी के समक्ष कितनी ही बार आवेदन पेश किया कि हम वादीगण का नाम सही किया जावें, लेकिन प्रतिवादी द्वारा कोई ध्यान नही दिया गया। वादीगण द्वारा अन्तिम बार दिनांक 10.07.2019 को प्रतिवादी के समक्ष निवेदन किया कि हमारा नाम शुद्ध किया जावें, लेकिन प्रतिवादी द्वारा मना कर दिया। यही वाद कारण है। और अन्त में निवेदन किया गया कि वाद वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड में खातेदार वादीगण का नाम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने की डिक्री फरमायी जावें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार जवाब दावा प्रस्तुत कर आंशिक स्वीकार करते हुए वाद वर्णित आराजी में खातेदार के नाम सिंह लगाये जाने पर कोई आपत्ति नही की गई है। वादी ने अपने वाद पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 प्रदर्श 1, खसरा मिलान क्षेत्रफल सन 1995–2015 ग्राम कांकरामेज प्रदर्श 2, नामान्तकरण संख्या 20 नकल प्रति प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2058–2061 प्रदर्श 4 एवं कृषक पास बुक की छायाप्रति एवं वादीगण 1 लगायत 5 की आधार कार्ड की छायाप्रतियां पेश की है। मौखिक साक्ष्य में वादी संख्या 1 व 2 साक्ष्य शपथ पत्र पेश किए गए।

वादीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण के राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारियों द्वारा सही नाम सरकारी रिकार्ड के अनुसार नाथू सिंह, कर्ण सिंह, लाडंकंवर, रसाल बाई पिसरान शिवसिंह दर्ज है लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगणो का नाम गलत दर्ज कर दिया गया। और अन्त में निवेदन किया गया कि वादीगणों का [illegible] फरमाया जावें।

Signature Not Verified

हमारे द्वारा वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की [illegible] बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

दस्तावेज प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 वादीगणो का नाम नाथूलाल, रामकरण पिसरान श्योजी धापू, मोडी पुत्रिया श्योजी दर्ज रिकार्ड है। वादीगणो द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, ग्राम पंचायत बसवाडा सरपंच का प्रमाण पत्र साक्ष्य दस्तावेज एवं जवाब पेरोकार सरकार को मध्यनजर रखते हुए वादीगण का वाद पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 खतौनी संख्या 32 पुरानी 28 की कृषि भूमि खसरा नं0 499 रकबा 3.07 वाके ग्राम कांकरामेज तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण का नाम नाथूलाल, रामकरण पिसरान श्योजी धापू, मोडी पुत्रिया श्योजी को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर नाथूलाल उर्फ नाथू सिंह आ0 श्योजी उर्फ शिवसिंह, रामकरण उर्फ कर्ण सिंह आ0 श्योजी उर्फ शिवसिंह, धापू उर्फ लाडकंवर पुत्री श्योजी उर्फ शिवसिंह, मोडी उर्फ रसाल बाई पुत्री श्योजी उर्फ शिवसिंह, गुलाब बेवा श्योजी उर्फ शिवसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावें। साथ ही वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.................................. मुकाम.........................लाखेरी..............................
व इज़लास.........श्री प्रमोद कुमार (आर. ए. एस.)...
नाथू सिंह उर्फ नाथूलाल आ0 शिवसिंह उर्फ बनाम 1 स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़
श्योजी जाति दरोगा निवासी काकरामेंज तहसील ; बून्दी राज0
वगैरह (प्रतिवादी).
(वादीगण)

दावा बाबत 88,89 आर0 टी0 एक्ट एक्ट ....

मुकद्मा नम्बर.....................................47 / दावा / 2019.................................सन.....................2019................
.........यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........हमरे..व हाजिरी
.....श्री बालकिशन रायका एडवोकेट ....मिनजानिब मुद्दई रूबरू....................पैरोकार सरकार..................
....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 खतौनी संख्या 32 पुरानी 28 की कृषि भूमि खसरा नं0 499 रकबा 3.07 वाके ग्राम कांकरामेंज तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण का नाम नाथूलाल, रामकरण पिसरान श्योजी धापू, मोडी पुत्रिया श्योजी को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर नाथूलाल उर्फ नाथू सिंह आ0 श्योजी उर्फ शिवसिंह, रामकरण उर्फ कर्ण सिंह आ0 श्योजी उर्फ शिवसिंह, धापू उर्फ लाडकंवर पुत्री श्योजी उर्फ शिवसिंह, मोडी उर्फ रसाल बाई पुत्री श्योजी उर्फ शिवसिंह, गुलाब बेवा श्योजी उर्फ शिवसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावें। साथ ही वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। ....
.... निज.......................................मुबलिग..बाबत..
............खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ......22......माह.. ..04... सन...
2021.......................को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना [illegible]		
4.महनताना वकील			4.खर्चा [illegible]		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये [illegible]या गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner